रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2110] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938
No. 2110] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

का.आ. 2793(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 05 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2529(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015 के द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 765 हैदराबाद से आंध्र प्रदेश सीमा खंड तक को तेलंगाना की राज्य सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सुपुर्द कर दिया है ।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाईपासों और सुरंगों का उपयोग करने के लिए फीस का संग्रहण करने हेतु 5 दिसम्बर, 2008 के सा.का.नि.838(अ) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 का निर्माण किया और 3 दिसम्बर, 2010 के सा.का.नि.950(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011 के सा.का.नि.15(अ), 12 अक्तूबर, 2011 के सा.का.नि.756(अ), 16 दिसम्बर, 2013 के सा.का.नि.778(अ), 16.1.2014 के सा.का.नि.16(अ), दिनांक 21.11.2014 के सा.का.नि.831(अ) और दिनांक 23.3.2015 के सा.का.नि.220(अ) के तहत संशोधित किया।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के साथ नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और समय-समय पर किए गए संशोधन (जो इसके आगे ''नियमों'' के रूप में उल्लिखित है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार तेलंगाना

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.765 पर किमी 23.000 से किमी 108.800, हैदराबाद से डिंडी खंड की 85.800 किमी निवल सड़क खंड की लंबाई का उपयोग करने के लिए नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर पेव्ड शोल्डर वाले दो लेन का उपयोग करने हेतु विनिर्दिष्ट आधार दर की 60% की दर से एतद्द्वारा फीस वसूलने और इसके लिए अपने अधिकारियों अथवा ठेकेदारों के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात्:

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष2007 - 08के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु .में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्ग्रहीत फीस टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
किमी 45+710 (महबूब नगर जिले में कदथल गांव के समीप)	55.00	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%
किमी 101+450 (महबूब नगर जिले में कोनेटीपुरम गांव के समीप	30.80	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2016-17 के लिए 235.00 रु. (दो सौ पैतीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल	पचास	भुगतान की तारीख से एक

यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई		महीना

4. जिस जिले में फीस प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों ।

5. यांत्रिक वाहन जो विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहन के अनुमत्य भार से अधिक भार से लदा है, के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अति भार लदे वाहन के प्रवेश के लिए पथकर संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 10 गुणा देने के लिए बाध्य होंगे और यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाए बगैर वे राजमार्ग खंड के उपयोग के लिए योग्य नहीं होगा ।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सहित सभी परिभाषाएं कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

7. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

8. आधार वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क की आधार दर उल्लिखित तालिका-1 पर आधारित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभारित किया जाने वाला वास्तविक मूल्य एवं छूट परिकलित की जाएगी तथा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक संशोधन किया जाएगा और तदनुसार इसे अंग्रेजी या स्थानीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

9. इस परियोजना की पूंजीगत लागत 340.00 करोड़ रु. है । पूंजीगत लागत घट-बढ़ के अध्यधीन है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता सुविधा अंतरण, वृक्षों की कटाई इत्यादि कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम रूप से पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी । उद्ग्रहीत प्रयोक्ता फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली के रिकॉर्ड का अनुरक्षण प्राधिकारी करेंगे तथा पूंजीगत लागत की वसूली के बाद वसूली योग्य फीस की दर पर 40% की कटौती कर दी जाएगी और उक्त नियमावली के अनुरूप प्रत्येक वर्ष संशोधित की जाएगी ।

[फा. सं. आर.डब्ल्यू/एन.एच.—37016/01/2016/एन.एच.डी.पी—IVA],

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2016

S.O. 2793(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2529 (E), dated the 17th September 2015, issued under section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Hyderabad to AP Border section of National Highway No. 765 in the State of Telangana to the State Government of Telangana (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October 2011, G.S.R. 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R. 16(E) dated 16.01.2014, G.S.R. 831(E) dated 21.11.2014 and G.S.R. 220(E) dated 23.03.2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended

from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 85.800 Km (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the Two laning with paved shoulder on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section of the Hyderabad - Dindi from kilometre 23.000 to kilometre 108.800 on the National Highway No. 765 in the State of Telangana and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
Km 45+710 near Kadthal village in Mahabubnagar District.	55.00	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 101+450(Near Konetipuram village in Mahabubnagar District.	30.80	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.000 (Rupees Two Hundred Thirty five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or person in charge of Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay for fee entering the overloaded vehicle on National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of fee applicable for such category of Mechanical vehicle and shall not be entitles to make use of highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rule.
8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
9. The estimated capital cost of the project is Rupees 340.00 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH- 37016 / 01 / 2016 /-NHDP-IVA]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.29 14:05:12 +05'30'